न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 12/2017 अपील

उनवान

श्री सुरेश चन्द्र पिता देबीलाल मातासरजू पुत्री देवा गुर्जर निवासी चमनपुरा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज0)	**बनाम**	.राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा, जिला–भीलवाडा (राज0)
–– अपीलार्थी		**––प्रत्यर्थी**

अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध नामान्तरकरण संख्या 3180 निर्णय दिनांक 02.03.2014 तहसीलदार भीलवाड़ा निरस्ती हेतु

उपस्थित :– श्री एम0एल0सेन अधि0 अपीलार्थी की ओर से !
प्रत्यर्थी अनुपस्थित !

निर्णय

दिनांक : 24/07/2017

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 बमामले विरूद्ध नामान्तरकरण सं0 3180 आदेश दिनांक 02.03.2014 को प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम कारोईकलां के खाता संख्या 110 में दर्ज आराजी नम्बर 556, 557, 1937, 1938, 1942, 2243, 2284, 2287, 2288, 2289, 2294, 2295, 2298, 2300, 2301, 2308, 2314, 2316/2, 2329/2 कुल कीता 19 कुल रकबा 22.00 बीघा भूमि मृतक देवा पिता केला का दर्ज 1/2 हिस्सा बाबत देवा पिता केला की विरासत का नामान्तरकरण संख्या 3180 पटवारी हल्का कारोईकलां द्वारा भरकर प्रस्तुत किया जिसमें देवा की पुत्री सरजू का पुत्र सुरेश चन्द्र है जो कि अपीलार्थी है उसका नामान्तरकरण में सुरेशचन्द्र के बजाय पप्पू अंकित कर दिया जो कि पटवारी हल्का द्वारा बिना जांच व तहकीकात के किया जिसकी जानकारी अपीलान्ट को किसान क्रेडिट कार्ड हेतु जमाबन्दी की नकल की आवश्यकता होने से पटवारी हल्का से जमाबन्दी की नकल प्राप्त की जिससे पप्पू अंकित होना ज्ञात हुआ। जिससे अपीलार्थी ने तहसील कार्यालय से नामान्तरकरण संख्या 3180 दिनांक 02.03.2014 की प्रमाणित प्रति दिनांक 03.03.2017 को प्राप्त होने पर सम्पूर्ण नामान्तरकरण के निर्णय दिनांक 02.03.2014 की जानकारी हुई। उक्त जानकारी होते ही नामान्तरण संख्या 3180 दिनांक 02.03.2014 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की है।

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

यह कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 3180 निर्णय दिनांक 02.03.2014 को पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार मानकर विरासत के वारिसान के नामों की जानकारी किये बिना ही निर्णित कर दिया जो कि तथ्यों व विधि के विपरीत होने से निरस्त योग्य है। यह कि मृतक देवा पिता केला निवासी कारोईकला का पारिवारिक सजरा इस प्रकार है– मूल पुरूष देवा पिता केला गुर्जर(फौत) इसके वारिसान में सोहनी व सरजू दो पुत्रियां तथा पत्नि(नाम अंकित नहीं) इनमें से पत्नि फौत है तथा पुत्री सरजू भी फौत है। मृतक सरजू के वारिसान में अपीलान्ट सुरेशचन्द्र पुत्र व पुत्री विमला है । मृतक देवा पिता केला गुर्जर के जायन्दा पुत्र सन्तान नहीं होने से उसकी विरासत उसकी पुत्री सोहनी व मृतक सरजू के पुत्र सुरेशचन्द्र व पुत्री विमला के नाम पर दर्ज किया जिसमें सरजू के पुत्र का नाम सुरेशचन्द्र है किन्तु पटवारी हल्का ने बिना जांच व तहकीकात किये ही सुरेशचन्द्र के बजाय पप्पू अंकित किया जो कि एक सद्भाविक भूल है व लिपिकीय त्रुटी हुई है जिसमें संशोधन किया जाने हेतु पप्पू के बजाय सुरेशचन्द्र अंकित किया जाना आवश्यक है। इसके लिए पूर्व के नामान्तरकरण संख्या 3180 को निरस्त कर पुनः संशोधन कर नामान्तरकरण खोला जाना आवश्यक है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा निर्णित नामान्तरकरण संख्या 3180 निर्णय दिनांक 02.03.2014 निरस्त किया जाकर उक्त नामान्तरकरण में पप्पू के बजाय सुरेश चन्द्र अंकित कर संशोधन कर निर्णित कराया जावे। अपील मीमों के साथ दफा 5 का प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र संलग्न कर अपील प्रस्तुत है।

प्रस्तुत अपील इस न्यायालय में दिनांक 06.04.2017 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रत्यर्थी को वजह जाहिर हेतु नोटिस जारी किया गया तथा अपीलाधीन आदेश सम्बधी रिकार्ड तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा के पत्रांक 1482 दिनांक 21.04.2017 से रिकार्ड प्राप्त होने पर दिनांक 24/07/2017 को वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गई । वकील अपीलान्ट के द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर अपील के तथ्यों एवं दफा–5 अवधि अधिनियम के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए देरी को कण्डोन करने एवं अपील को स्वीकार करा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा के नामान्तरकरण संख्या 3180 दिनांक 02.03.2014 को निरस्त करा अपीलार्थी का नाम पप्पू के बजाय सुरेशचन्द्र बतौर खातेदार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज कराने का आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

सर्व प्रथम अपील मेमो के साथ प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र दफा 5 कानूनी मियाद पर विचार किया जाकर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा हैं। प्रार्थी ने अपने आवेदन में अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा के द्वारा जारी नामान्तरकरण संख्या 3180 दिनांक 02.03.2014 के सम्बन्ध में प्रत्यथी की ओर से

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र के खण्डन में किसी प्रकार का जवाब अथवा प्रतिशपथपत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नही किया। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रार्थनापत्र व उसके समर्थन में प्रस्तुत शपथपत्र पर अविश्वास करने का कारण न्यायालय के समक्ष नही हैं। सामान्य न्याय सिद्धान्तो को दृष्टिगत रखते हुए प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत दफा 5 कानून मियाद प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किया जाकर अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

अब अपील मीमों के गुणावगुणों पर विचार किया जा रहा है। अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील मेमो में विवाद का विषय यह रहा कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा के द्वारा नामान्तरकरण संख्या 3180 दिनांक 02.03.2014 को जारी किया परन्तु खातेदार श्री देवा पिता केला गुर्जर की मृत्यु होने पर उसकी विरासत का नामान्तरकरण दायर किया जिसमें इसके वारिसान सोहनी पुत्री देवा तथा सरजू पुत्री के फौत होने पर इसके वारिसान में इसके पुत्र सुरेश चन्द्र के बजाय पप्पू पिता देबीलाल व विमला पुत्री देबीलाल का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किया परन्तु नामान्तरकरण निर्णित करने से पूर्व मात्र पटवारी हल्का कारोईकलां की रिपोर्ट को आधार बनाकर बिना जांच किए एवं आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए बिना अपीलान्ट सुरेशचन्द्र के स्थान पर पप्पू दर्ज कर दिया। क्योंकि ग्रामीण क्षैत्र में किसी भी व्यक्ति की मृत्यु पर वहां के ग्रामीणों से उसके वारिसान के सम्बन्ध में पूछताछ पटवारी हल्का के स्तर से की जाती है और ग्रामीण स्वाभाविक बोलचाल की भाषा में नाम से परिचित नहीं होने की स्थिति में पप्पू, लाला या अन्य कोई भी नाम प्रस्तावित कर दिया जाता है और उसी के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 3180 में भी अपीलान्ट का नाम सुरेशचन्द्र के बजाय पप्पू दर्ज कर दिया जबकि अपीलान्ट के द्वारा स्वयं का नाम सुरेशचन्द्र पिता देबीलाल गुर्जर होने के सम्बन्ध में तहसीलदार बनेड़ा से जारी मूल निवास प्रमाण पत्र दिनांक 05.06.2013 की फोटो प्रति, भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र की फोटो प्रति, ग्राम पंचायत चमनपुरा पंचायत समिति बनेड़ा द्वारा जारी राशन कार्ड संख्या 00352 की फोटो प्रति प्रस्तुत की है जिसमें सभी में श्री सुरेंशचन्द्र पिता देवीलाल गुर्जर नाम अंकित है। दस्तावेज के आधार पर यह भी सिद्ध होता है कि अपीलान्ट ग्राम चमनपुरा तहसील बनेड़ा का रहने वाला है तथा विवादित आराजीयात ग्राम कारोईकलां के सम्बन्ध में तहसीलदार भीलवाड़ा के द्वारा बिना वारिसान को सुने व आवश्यक दस्तावेज प्राप्त किए ही पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 3180 दिनांक 02.03.2014 को पारित किया जो विधि विरूद्ध होकर खारिज योग्य है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी अपनी अपील को सिद्ध कराने में पूर्णतया सफल रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार भीलवाड़ा के द्वारा जारी नामान्तरकरण संख्या 3180 निर्णय दिनांक 02.03.2014 खारिज योग्य है । अपील स्वीकार योग्य प्रतीत होती है। अतएव–

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

आदेश

अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत अपील अन्तर्गत धारा 75 रा0भू0रा0 अधिनियम 1956 विरूद्ध तहसीलदार भीलवाड़ा द्वारा जारी नामान्तरकरण संख्या 3180 निर्णय दिनांक 02.03.2014 को निरस्त करते हुए अपील अपीलान्ट स्वीकार करते हुए पुनः रिमाण्ड कर आदेशित किया जाता है कि श्री पप्पू पिता देबीलाल के बजाय सुरेश चन्द्र पिता देबीलाल के सम्बन्ध में पूर्ण जांच कर रिकॉर्ड पर सभी आवश्यक दस्तावेजों की जांच परख पश्चात अजसरे निर्णय पारित किया जावे।

आदेश आज दिनांक 24/07/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर
भीलवाडा